रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072023-247515 CG-DL-E-21072023-247515

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] No. 422] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

सा.का.िन. 528(आ).—जबिक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उपधारा (1) के तहत यथा अपेक्षित, दिनांक 13 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.िन 290 (असा.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में कितपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले,इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबिक, उक्त अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र की प्रतियां 13 अप्रैल, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबिक, उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 कहा जाए।

4740 GI/2023 (1)

- (2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ड.) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:-
 - "(च) नागर विमानन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा संख्या एवी-24032/56/2021-एएआई-एमओसीए दिनांक 9 जनवरी, 2023 के जरिए समय-समय पर यथा संशोधित नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश 2022 को अधिसूचित किया गया है।"

[फा. सं. 38-05/2023-डीडी-III] राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट:- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(असा.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)) NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2023

G.S.R. 528 (E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 290 (E), dated the 13th April, 2023, as required under sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act 2016 (49 of 2016), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public.

And whereas, the copies of the Official Gazette of the said notification were made available to the public on the 13^{th} April, 2023;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(f) the Accessibility Standards and Guidelines for Civil Aviation 2022, notified by the Government of India in the Ministry of Civil Aviation, *vide* notification number AV-24032/56/2021-AAI-MoCA, dated the 9th January, 2023, as amended from time to time."

[F. No. 38-05/2023-DD-III]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.